दिनांक: 29.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/ अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया ताम्बे का तार 380 ग्राम , 02 चाकू नाजायज एंव घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल मय फर्जी नम्बर प्लेट बरामद

घटनाओं का विवरण:-

*दिनाँक 28.07.2026 को वादी पंकज कुमार पुत्र वेदपाल निवासी में नैनखेड़ा थाना रामपुर मनि0 (सहारनपुर) की लिखित तहरीर बावत अज्ञात चोरो द्वारा वादी व सुरेश पाल पुत्र इलम सिंह, जयकुमार पुत्र रतन सिंह, अमीर सिंह पुत्र खिलाराम समस्त निवासी गाण नैनखेड़ा थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर की टयूबवैल की केबिल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनि0 पर **मु0अ0सं0 236/26 धारा 303(2) बी0एन0एस0** पंजीकृत किया गया।*

पुलिस कार्यवाही:-

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का संज्ञान लेकर चोरी की घटना का सफल अनावरण एंव घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री उम्मेद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्तगण **1. आबिद पुत्र इदरीश निवासी मौ० महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर 2. जुनैद पुत्र जाहिद निवासी मौ० महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को रेलवे लाईन के पास कच्चा रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से चोरी गया ताम्बे का तार 380 ग्राम, 02 चाकू नाजायज, घटना मे प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल स्पलेन्डर प्लस एंव 01 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0-238/26 धारा 318(4)/336(2)/317(5) बीएनएस व 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. आबिद पुत्र इदरीश निवासी मौ० महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. जुनैद पुत्र जाहिद निवासी मौ० महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- चोरी गया ताम्बे का तार 380 ग्राम
- 01 मोटरसाइकिल मय फर्जी नम्बर प्लेट

गिरफ्तार अभियुक्त आबिद का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0-97/24 धारा 3/5/25 आर्मस एक्ट थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर

2. मु0अ0सं0-187/24 धारा 380/411 भादवि व 4/25 आर्मस एक्ट थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर

<u>गिरफ्तार अभियुक्त जुनैद का आपराधिक इतिहास-</u>

1. *मु0अ0सं0-11/22 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0-84/22 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0-118/22 धारा 20/8 स्वापक औषधी व मनः प्रभावी प्रदार्थ अधि0 थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर*
4. *मु0अ0सं0-33/22 धारा 20/8 स्वापक औषधी व मनः प्रभावी प्रदार्थ अधि0 थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर*
5. *मु0अ0सं0-222/25 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर*
6. *मु0अ0सं0-210/26 धारा 60(1) अबकारी अधि0 थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>

1. *उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर*
2. *है0का0 570 योगेन्द्र कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर*
3. *है0का0 394 प्रवीण कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

दिनांक- 29.07.2026

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 46 ग्राम स्मैक नाजायाज बरामद

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 28.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त अकील उर्फ आकिल पुत्र फैजान अहमद निवासी पक्का बाग नियर गोटेशाह की चुंगी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर को माल गोदाम रोड पुराना प्लेट फार्म के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 46 ग्राम स्मैंक नाजायाज बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0स0 342/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

अकील उर्फ आकिल पुत्र फैजान अहमद निवासी पक्का बाग नियर गोटेशाह की चुंगी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

बरामदगी -

46 ग्राम स्मैंक नाजायज

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 204/20 धारा 379/411/420/467/468/471 भादवि व 41/102 सीआऱपीसी थाना जनकपुरी सहारनपुर ।

2. मु0अ0सं0 332/20 धारा 414 भादवि थाना मण्डी सहारनपुर ।

3. मु0अ0सं0 333/20 धारा 414/420/467/468/471 भादवि व 41/102 सीआऱपीसी थाना मण्डी सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

2. उ0नि0 अमित कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

3. का0 2432 अनिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

4. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

5. का0 1215 कपिल कुमार कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

दिनांक 29.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर को किया गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोबाइल व नगद 2200/रुपये बरामद

घटना का विवरणः-

__दिनांक 15.07.2026__ को वादी श्री विनोद कुमार पुत्र स्व0 अजमेर निवासी रेलवे रोड एआरसी गेट शास्त्री विहार कस्बा व थाना सरसावा की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान से वादी का मोबाईल OPPO A 785G व गल्ले मे रखे 14000 चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 229/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

इसी क्रम में पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि घटनाओं की रोकथाम व वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री प्रवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमो में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 01 नफर अभियुक्त साकिब पुत्र नौशाद निवासी ग्राम इब्राहीमी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को सेन्ट्री मेरी स्कूल के पीछे निर्माणाधीन कालोनी से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कब्जे से 01 मोबाइल ब्रांड OPPO A 785G माडल न0 A78 आई0एम0ई0आई नम्बर 861784065492875 व नगद 2200/- रुपये संबंधित मु0अ0स0 229/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना सरसावा बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर उपरोक्त मुकदमो में वृद्धि धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर अपराधी है गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त साकिब उपरोक्त ने बताया कि साहब यह मोबाइल फोन व 14000 रुपये मैने करीब 15 दिन पहले रेलवे रोड पर एक परचून की दुकान से चोरी किये थे कुछ पैसे मुझसे खर्च हो गये है यह पैसे बचे है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

साकिब पुत्र नौशाद निवासी ग्राम इब्राहीमी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 मोबाइल ब्रांड व नगद 2200/-रुपये

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रिषभ उपरोक्त

मु0अ0सं0 -229/26 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस अधि0 थाना सरसावा सहारनपुर

मु0अस0सं0 -383/2025 धारा 4/25 आयुध अधिनियम अधि0 थाना सरसावा सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1- थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

2- उ0नि0 श्री रविंद्र कसाना थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

3- हे0का0 661 सम्राट सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

4- हे0का0 24 सुनील कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

दिनांक-29.07.2026

-प्रेस नोट-

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ हत्या के मुकदमें में 02 वांछित अभियुक्तगण घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचे .315 बोर, 04 जिन्दा / 02 खोखा कारतूस .315 बोर एवं 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद ।

घटना का विवरण –

दिनांक 27.07.2026 को वादी श्री जयप्रकाश पुत्र गोला निवासी मौ0 शशिनगर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 26.07.2026 की रात्रि 22.30 बजे अभियुक्तगण 1.आदी पुत्र सुधीर कुमार निवासी ग्राम जडौदा जट्ट, 2. सूर्याश पुत्र नामालूम निवासी शास्त्री चौक कस्बा देवबन्द जनपद सहारनपुर,3. आकाश पुत्र सरजीत निवासी शशिनगर कस्बा व थाना देवबन्द व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के पुत्र शिवा को जबरदस्ती अपहरण करके ले जाने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 542/2026 धारा 140(3) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था । विवेचना के दौरान अपहरत शिवा के शव की बरामदगी के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 140(1)/103(1) /238(ए)/3(5) बीएनएस की वृद्धी की गई ।

पुलिस कार्यवाही -

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।

इसी क्रम में आज दिनाँक 29.07.2026 को प्रातः प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देवबन्द मय पुलिस टीम के साथ बार्डर चौकी से आगे रजवाहा पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिग की जा रही थी। तभी मंगलौर रोड की ओर से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखायी दिये। पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल सवार को चैकिंग हेतु रुकने का इशारा किया गया तो वह नहीं रुके और पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर हड़बड़ाहट में मोटरसाइकिल मोड़कर गंगादासपुर रोड की तरफ भागने लगे।पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया, कुछ दुरी पर जाकर टूटी हुई सड़क व गारा, मिट्टी होने के कारण मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल कर गिर गयी। पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख बदमाशों ने ईंख के खेतो में घुस कर पुलिस टीम पर पुनः जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के बायें पैर मे एंव दूसरे बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार / घायल बदमाशो की पहचान **1. आदि उर्फ आदित्य पुत्र सुधीर कुमार निवासी ग्राम जडौदा जट्ट थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2. सूर्याश पुत्र दीपक कुमार निवासी शास्त्री चौकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई । गिरफ्तार/ घायल अभियुक्तगण को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल मे भर्ती कराया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार/घायल अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 544/2026 धारा 109(1), 317(5) बीएनएस एंव 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

विवरण पूछताछ- *पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त सूर्यांश व आदी उर्फ आदित्य ने एकराय होकर बताया कि शिवा,तेजस व हम दौनों के मध्य तमंचा दिखाने की बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद को लेकर शिवा ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर हम दौनों व तेजस के साथ मारपीट की थी। इसी बात से क्रोधित होकर हम तीनों ने शिवा से बदला लेने के उद्देश्य से उसकी हत्या करने की योजना बनायी। इसी योजना के तहत हमनें शिवा को दिनांक 26.07.2026 की रात्रि को उसके घर से बुलाकर ले गये करीब रात्रि में 11.00 बजे उसी दिन टीचर कॉलोनी के पीछे ईँख के खेत में शिवा की हत्या कर दी। घटना के उपरांत हमने शव की पहचान एवं गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से शिवा को उसी गन्ने के खेत में छिपा दिया तथा मौके से फरार हो गए। आज दिनांक 29.07.2026 को हम दोनो मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहे थे तभी मंगलौर रोड पर बॉर्डर के निकट रजवाहे के पास पुलिस चेकिंग देखकर पकड़े जाने के भय से हमने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया तथा मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास किया। गंगदासपुर मार्ग की ओर मुड़ते समय सड़क क्षतिग्रस्त एवं गारा-मिट्टी होने के कारण हमारी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल गई । पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख हम ईंख के खेत में घुस गये और पुनः पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। फिर पुलिस ने हमें पकड़ लिया।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. *आदि उर्फ आदित्य पुत्र सुधीर कुमार निवासी ग्राम जडौदा जट्ट थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*
2. *सूर्याश पुत्र दीपक कुमार निवासी शास्त्री चौकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*

बरामदगी का विवरणः-

- *02 तमंचे .315 बोर*
- *04 जिन्दा / 02 खोखा कारतूस .315 बोर*
- *01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट*

अभियुक्त आदि उर्फ आदित्य उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. *मु0अ0सं0- 407/23 धारा 147/232/506 भादवि 3(1)(घ),3(1)द एस सी एसटी एक्ट थाना देवबन्द*
2. *मु00सं0- 413/25 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना देवबन्द*

अभियुक्त सूर्यांश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. *मु0अ0सं0- 129/23 धारा 363 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना देवबंद जनपद सहारनपुर*
2. *निरी0 राजीव सक्सेना स्वाट टीम जनपद सहारनपुर*
3. *उ0नि0 नीरज पंवार स्वाट टीम जनपद सहारनपुर*
4. *उ0नि0 डैनी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*
5. *उ0नि0 रविन्द्र सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*
6. *है0का0 सोनू शर्मा स्वाट टीम जनपद सहारनपुर*
7. *है0का0 1349 सन्दीप चिकारा थाना देवबन्द सहारनपुर*
8. *का0 16 पवन सिरोही थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*
9. *का0 17 रवि चिकारा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*